161

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2016 निग 3588 प्र 16

दीनबन्धु राठौर पिता मोहन राठौर, निवासी–ग्राम सेन्दुरी थाना व तहसील अनूपपुर जिला अनूपपुर (म.प्र.)

----आवेदक

विरूद्ध

1. मध्य प्रदेश शासन
2. ईश्वरदीन पिता मुड़वा राठौर, निवासी–ग्राम सेन्दुरी थाना व तहसील जिला अनूपपुर (म.प्र.) ---अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार, अनूपपुर जिला, अनूपपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 53/अ–3/14–15 में पारित आदेश दिनांक 29/08/2015, के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण

मानवीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है ।

1. यहकि, अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा ग्राम बर्री तहसील व जिला अनूपपुर में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 500/1क/3 का नकशा तरमीम हेतु तहसीलदार महोदय, अनूपपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

2. यहकि, आवेदक ग्राम बर्री तसहील व जिला अनूपपुर में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 500/1/ख/1 का भूमि स्वामी एवं आधिपत्य धारी है। अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा प्रस्तुत आवेदन में आवेदक को पक्षकार नहीं बनाया गया। तहसील न्यायालय द्वारा भी आवेदक एवं अन्य सरहदी काश्तकारों को सूचना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना तहसील न्यायालय द्वारा राजस्व निरीक्षक से नकशा तरमीम प्रतिवेदन प्राप्त कर राजस्व प्रकरण क्रमांक 53/अ–3/14–15 में आदेश दिनांक 14/06/2013 द्वारा राजस्व निरीक्षक द्वारा सर्वे क्रमांक 500 एवं 708 का नकशा तरमीम प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

3. यहकि, इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा संहिता की धारा 51 के अधीन तहसीलदार महोदय के समक्ष पुनर्विलोकन प्रस्तुत किया गया जो

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी 3588–दो/2016 जिला अनूपपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27–10–2017	आवेदक एवं अनावेदक कमांक 2 स्वयं उपस्थित। उनके द्वारा आज एक राजीनामा आवेदन प्रस्तुत कर सहमत होते हुये नक्शा तरमीम की कार्यवाही को निरस्त कर प्रकरण का निराकरण करने का अनुरोध किया। 2/ आवेदक एवं अनावेदक कमांक 2 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन पर विचार किया। उभय पक्ष राजीनामा के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त कराना चाहते हैं। जबकि उभय पक्ष उक्त राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निराकरण कराना चाहते हैं। उभय पक्ष चाहे तों अपना राजीनाम सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करके नक्शा तरमीम की कार्यवाही कराने के लिए स्वतंत्र हैं। दर्शित परिस्थितियों में उभय पक्ष के राजीनामे के आधार पर प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	